

पत्र संख्या : 7वि.शा./मु.राँची-05-04/2021 ज.सं. 12

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 24/05/2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार (ई.आर.एम.) कार्य हेतु कुल रु. 1075.072 लाख (रु. दस करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार दो सौ मात्र) रुपये राशि का आवंटन स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-51/18-19, दिनांक 01.02.2019 (Online AA- 2006/04.02.2019), 38/17-18, दिनांक 15-09-2017 (Online AA-1311/15-09-2017), 84/16-17 प्र.स्वी., दिनांक-02.02.2017 Online AA-2290/09.02.2017, 45/18-19 प्र.स्वी., दिनांक-01.01.2019 Online AA-1746/02.01.2019, 81/16-17, दिनांक 20.01.2017 (Online AA-2167/26.01.17) एवं 12/19-20, दिनांक 01.07.2019 (Online AA-1169/20.08.19)


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य/	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई० आर० एम०	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 49S47018079654000545	1075.072
				1075.072

आवंटित राशि - दस करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार दो सौ मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध राशि रु. 8675.00 लाख (छियासी करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-13 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 12

राँची, दिनांक :- 24/05/2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/चाईबासा/चक्रधरपुर/खूँटी सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(प्रशांत कुमार)
सचिव


ज्ञापांक :- 12

राँची, दिनांक :- 24/05/2021

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई० आर० एम०

विरस्तुत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण विपत्र कोड-49S47018079654000545

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध राशि रु. 8675.00 लाख (छियासी करोड़ पचहतर लाख) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		एकराशनामा की राशि	मार्च 2021 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन			योजना पर कुल अवतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रस्ताव	राशि			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जलपथ प्रमंडल, चोईबासा (SGHRR008)	संतोषी	पुनर्गठन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का पक्कीकरण कार्य।	51/18-19, दिनांक 01.02.2019 (Online AA-2006/04.02.2019)	2307.00	2153.49	1348.25	0.000	158.470	158.470	1506.724	21696	
2		संतोषी	तोरेलो जलपथ योजना के मुख्य नहरों के लाईनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य।	38/17-18, दिनांक 15.09.2017 (Online AA-1311/15-09-2017)	5297.00	4681.17	3369.72	0.000	129.790	129.790	3499.510	21697	
योग								0.000	288.260	288.260	5006.234		
3		संतोषी	सोनुआ सिंचाई योजना के पुनरुद्धार (ई.आर.एम.) कार्य।	84/16-17 प्र.स्वी, दिनांक-02.02.2017 Online AA-2290/09.02.2017	1348.18	1367.94	743.04	0.000	64.240	64.240	807.280	21698	
4	जलपथ प्रमंडल, सं. 1, चक्रधरपुर (SGHRR016)	संतोषी	ब्राह्मणी सिंचाई योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य	45/18-19 प्र.स्वी, दिनांक-01.01.2019 Online AA-1746/02.01.2019	1161.55	1161.55	515.46	0.000	199.672	199.672	715.132	21699	
5		संतोषी	विजय सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरुद्धार (ई.आर.एम.) कार्य	81/16-17, दिनांक 20.01.2017 (Online AA-2167/26.01.17)	2982.00	3030.15	2535.58	0.000	151.400	151.400	2686.980	21700	
योग								0.000	415.312	415.312	4209.392		
6	जलपथ प्रमंडल, खूँटी (RNCIRK02)	संतोषी	तजना बराज सिंचाई योजना के पुनरुद्धार एवं नहरों के लाईनिंग कार्य	12/19-20, दिनांक 01.07.2019 (Online AA-1169/20.08.19)	4900.00	3808.97	2053.41	0.000	371.500	371.500	2424.910	21701	
योग								0.000	371.500	371.500	2424.910		
कुल योग								0.000	1075.072	1075.072	11640.536		

आवृत्ति राशि - ₹ दस करोड़ पचहतर लाख सात हजार दो सौ मात्र।

उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव